कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4821 /तकनीकी/2014 भोपाल, दिनांक 17-11-14

प्रति,

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/
समस्त जिला पंजीयक
मध्यप्रदेश

विषयः— पंजीयन उपरांत नगरीय तथा विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेजों के अंतर्गत निहित सम्पत्ति का शत प्रतिशत स्थल निरीक्षण।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 4585/तकनीकी 2014 दिनांक 28.10.2014

—0—

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र की कंडिका 2.1 के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी उप पंजीयकों को उनके कार्य क्षेत्र में गाईड लाईन के कृषि भूमि हेतु उपबंध की कंडिका 4 के तहत आने वाले क्षेत्र, यथा नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचांयत/प्लानिंग क्षेत्र तथा विशिष्ट ग्रामों के अंतर्गत समस्त प्रकार की भूमि एवं निर्मित सम्पत्तियों के अंतरण पंजीकृत दस्तावेजों की प्रविष्टि ऑनलाईन साफ्ट्वेयर में करने के पश्चात् सभी दस्तावेजों में वर्णित सम्पत्ति का शत– प्रतिशत स्थल निरीक्षण किया जाना है। ऐसा करने के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रविष्टि भी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में की जाना है। उप पंजीयकों द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन के अगले दिन तक उक्त समस्त पंजीकृत दस्तावेजों की प्रविष्टियां अपने–अपने लॉगिन द्वारा की जायेगी, तथा पंजीयन पश्चात् तीन दिवस के अंदर स्थल निरीक्षण कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रविष्टि आनलाईन साफ्टवेयर में अनिवार्यतः की जाये। जिला पंजीयक एवं उप महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा किये गये क्रास चैक की प्रविष्टि यथावत आनलाईन साफ्टवेयर में की जावेगी। इस संबंध में एन.आई.सी. द्वारा रेण्डम स्थल निरीक्षण साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया गया है। इस संबंध में दस्तावेजों की प्रविष्टि हेतु उप पंजीयक लॉगिन पर ''प्रविष्टि करें'' आप्शन के अंतर्गत एक नया आप्शन ''स्थल निरीक्षण हेतु प्रतिवेदनों की प्रविष्टि'' बनाया गया है जिसके माध्यम से

समस्त दस्तावेजों के प्रतिवेदनों की प्रविष्टियां दिनांक 28.10.2014 से की जानी है। ''स्थल निरिक्षण किए गए दस्तावेजों की प्रविष्टियां'' आप्शन पर क्लिक करने पर आप निम्नानुसार तीन प्रकार से प्रविष्टि किए गए पंजीबद्ध दस्तावेज देख सकते हैं :–

(i) केवल एक दिनांक में पंजीकृत दस्तावेज

(ii) दस्तावेज कमांक द्वारा

(iii) किन्हीं दो दिनांकों के मध्य (अवधि में) पंजीबद्ध दस्तावेज

उपरोक्त तीनों आप्शन में से आप आवश्यकतानुसार किसी भी एक आप्शन का उपयोग कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रविष्टि कर सकते हैं ।

2. यह ध्यान में आया है कि कतिपय उप पंजीयकों द्वारा स्थल निरीक्षण के लिए दस्तावेज का पंजीयन विलंबित किया जा रहा है। यह स्थिति दिए गए निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। आपको यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी दस्तावेज का पंजीयन स्थल निरीक्षण के लिए विलंबित न किया जाए । दस्तावेज के पंजीयन के पश्चात् तीन दिवस के अंदर स्थल निरीक्षण सम्पन्न किया जाए, और स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाए।

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश

कमांक / 4322 / तकनीकी / 2014 भोपाल, दिनांक 17.11.14

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2. समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश